(141) (2)

XXIII–D–3
Settl.

अदालत श्री ए. एस. फारुक विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
(परिवर्तित भूमि पर पुनर्निर्धारण, प्रब्याजि तथा जुर्माना का सूचना-पत्र

नोटिस प्रपत्र "ब्री"

बनाम

श्री संचालक श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट रायपुर आत्मज निवासी ग्राम (रायपुर) चोरहा

पट. ह. नं. 48 तहसील धमधा जिला दुर्ग

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-काश्तकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मामला क्रमांक 20अ/2. 2002. 2003 के अंतर्गत कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग के आदेश दिनांक 13.11.2002 के अनुसार निम्नलिखित पुनर्निर्धारण (जमा) निर्धारण किया गया है :—

नाम ग्राम मय बन्दोबस्त नम्बर व. ह. नं.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लाट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुनर्निर्धारण (जमा)
ग्राम- चोरहा बं. नं. 120 प. ह. नं. 48	63/2 63/2 2	1. 216 0. 809 2. 023 20800	वार्षिक पुन: निर्धारण अंशदायी 6406.00 रुपये दिनांक 1.10. 2002 से लागू होगा। आवेदक द्वारा चालान क्रमांक 29/41 दिनांक 13.11.2002 को निरन्तर राशी दिनांक 1.10.2002 से 30.9.2003 तक की जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत किया। निर्धारण 6406.00 प्रीमीयम 80625.00 87031.00 राजस्व निरीक्षक परिवर्तित भूमि दुर्ग

OFFICER ON SPECIAL DUTY DIVERTED LAND
With Power of Tahsildar
DURG (C.G.)

(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि काश्तकारी भूमि की गैर-काश्तकारी कामों में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप आप पर प्रीमियम (प्रब्याजि) ....4.......... रुपया और जुर्माना ....1.4.......... रुपया किया जाता है जो आप खजाने में जमा कर चालान दिनांक ....4............ या इसके पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें.

13/11/02

विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
दुर्ग

GRPRJ—FS/218—4/2002—20,000.

कार्यालय उप संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक/ 1381 /न.ग्रा.नि./2006 दुर्ग, दिनांक 16 मई 2006

प्रति,

प्रबन्ध न्यासी/सचिव,
श्री रावतपुरा सरकार, लोक कल्याण ट्रस्ट,
ग्राम–चोरहा, जिला दुर्ग छ.ग.

विषय:– ग्राम चोरहा के सर्वे क्रमांक 63/2,63/5,63/3 एवं ग्राम जंजगिरी के सर्वे क्रमांक 257/1 ,257/3 का कुल रकबा 8.11 एकड भूमि के भाग पर महाविद्यालय के विस्तार हेतु स्थल अनुमोदन बाबत।

संदर्भ:– आपका आवेदन पत्र दिनांक 4.05.2006.

–0–

उपरोक्त संदर्भित आवेदन पत्र में यथावर्णित भूमि ग्राम चोरहा के सर्वे क्रमांक 63/2, 63/5, 63/3 रकबा 6.48 एकड ग्राम जंजगिरी सर्वे क्रमांक 257/3 रकबा 1.63 एकड कुल भूमि का रकबा 8.11 एकड पर मानचित्र में दर्शाये अनुसार महाविद्यालय हेतु विकास को क्रियान्वित करने हेतु विकास अनुज्ञा छत्तीसगढ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (3) एवं छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 2(5) (क) एवं नियम 27 के तहत निम्न शर्तो के अध्याधिन रहते हुये दी जाती है।

1. भू–तल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र, सिमांत खुले क्षेत्र, मार्ग एम.आर.क्रमांक 9 (चौडाई 50 मीटर) का प्रस्तावित पंक्तिकरण मानचित्र में दर्शाये अनुसार रखना आव श्यक होगा। भवन की अधिकतम उंचाई भूतल + एक मंजिल मान्य होगी।

2. ग्राम–चोरहा के मार्ग को 60 फुट चौडाई तक का विकास करना आव श्यक होगा।

3. उच्च दाब विद्युत लाईन के आसपास भूमि–भूमि विकास नियम के अनुसार छोडना आव श्यक होगा एवं उक्त भूमि खुली क्षेत्र के रूप में रखी जावे।

4. भूमि विकास के नियम के नियम 81 अनुसार पार्किंग की व्यवस्था करना आव श्यक होगा।

5. भूमि का व्यपवर्तन राजस्व विभाग से कराना आव श्यक है।

6. किसी भी स्थिति में विकास अनुज्ञा के विरूद्व कोई विकास, निर्माण न किया जावे।

7. अभिन्यास में दर्शाये अनुसार मार्गो का विकास एवं खुले स्थानों का विकास करना आव श्यक है।

क्रमश:......2पर

8. समस्त विकास कार्य जैसे सडकों का निर्माण,जल प्रदाय एवं मल वहन/नालीयों तथा विद्युत संबंधी व्यवस्था आदि के प्रावधानों का विकास स्वयं आवेदक को करना होगा।
9. सर्वप्रथम भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग से कराना होगा, तदप श्चात स्थल पर अभिन्यास अनुसार सीमांकन कराया जाकर सीमांकित मानचित्र का सत्यापन इस कार्यालय से कराया जाना आव श्यक है।
10. छ.ग.भूमि विकास नियम 1984 के अनुसार प्रति 100 वर्गमीटर में एक वृक्ष की दर से वृक्षारोपण करना होगा।
11. छ.ग.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 संशोधित अधिनियम 1996 में निहित प्रावधानों के अनुसार यह अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। निर्धारित कालावधि में विकास ,विकास निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर इस अनुज्ञा को वर्षानुरूप विधिमान्य कराना होगा, जिसकी कुल अवधि प्रथम स्वीकृति के दिनांक से अधिकतम पांच वर्षो तक हो सकेगी।
12. परिसर में आव श्यक सुविधाओं जैसे जल आपूर्ति/मल निकास,सेप्टिक टैंक,खुले स्थानों का विकास सडकों का निर्माण एवं विद्युतीकरण आदि के प्रावधान आवेदक को स्वयं के व्यय पर करना होगा।
13. शहरी जल प्रदाय प्रणाली हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया हेतु प्रावधान रखा जावे।
14. जल प्रदाय के लिये भूखंड पर पी.एच.ई.विभाग के मानकों के अनुसार स्त्रोतों का विकास करना होगा।
15. विद्युतीकरण छ.ग.विद्युत मंडल की देखरेख में उनके नियमों के अन्तर्गत करना होगा।
16. इस अनुमति का यह आशय नहीं है कि प्र श्नाधीन भूमि शासकीय या अर्द्धशासकीय विभागों से प्राप्त की जाने वाली अनुमतियों से मुक्त है। अर्थात यदि किसी प्रकार की अनुमति आदि प्राप्त करना हो तो ऐसी अनिवार्यता इस अनुज्ञा से प्रभावित नहीं होगी।
17. मुख्य मार्ग के मध्य से 30 फीट छोडने के प श्चात भूखंड रेखा मानी जावेगी। तदप श्चात उपांतीय खुला क्षेत्र मानचित्र में दर्शाये अनुसार छोडना होगा।
18. स्थल पर किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण के पुर्व भवन निर्माण अनुज्ञा नगर पालिका परिषद कुम्हारी से प्राप्त करना आव श्यक होगा।
19. किसी भी प्रकार के भू–स्वामित्व, विवाद, गलत जानकारी देने पर अथवा न्यायालयीन विवाद होने की स्थिति में यह अनुमति छ.ग.भूमि विकास नियम के नियम 25 के तहत प्रतिसंहीत की जा सकेगी।

उप संचालक,
For नगर तथा ग्राम निवेश
दुर्ग (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक/ /न.ग्रा.नि./2006 दुर्ग,दिनांक.............................
प्रतिलिपि

1. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कुम्हारी की ओर सूचनार्थ एवं आव श्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

sd/-

उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार धमधा जिला दुर्ग छ0ग0

क्रमांक/686/भू. उप्र/ 2012–13 धमधा दिनांक 28/03/2012

भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट द्वारा संपत्ति व भवन नगर पालिका कुम्हारी के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 17 में स्थित प.ह.न. 046 ग्राम चोरहा, तहसील धमधा जिला दुर्ग में खसरा क्रमांक 63/2, 63/3 रकबा 2.000 हेक्टेयर 5.00 एकड़ दस्तावेज क्रं. 458/71/900, 535/97 से 100/863 पंजीयन दिनांक 20/09/2002 भूमि स्वामी श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट के नाम पर दर्ज है उक्त भूमि को श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट द्वारा स्थापित श्री रावतपुरा सरकार संस्थान "शिक्षा महाविद्यालय" हेतु भवन निर्माण की अनुमति शैक्षणिक कार्य हेतु प्रदान की गई है। उक्त भूमि का कोई लगान शेष नहीं है। यह तथ्य मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य है।

आज दिनांक 28.03.2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

28.3.12